BSBCCL
Build Green, Live Green!
CIN:U45200BR2008SGC013513

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
(बिहार सरकार का एक उपक्रम)
वेबसाइट: www.bsbccl.bih.nic.in

BIHAR STATE BUILDING CONSTRUCTION CORPORATION LTD.

An ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007 Certified Company
(A Government of Bihar Undertaking)
Website: www.bsbccl.bih.nic.in

पत्रांक–बी0एस0बी0सी0सी0एल0–072/2014 (प्रशासन)खण्ड–1 दिनांक–

विज्ञापन संख्या–01/2017

लेखापाल–सह–रोकड़पाल एवं लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर सेवानिवृत कर्मियों का संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु सूचना

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 में मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखापाल–सह–रोकड़पाल एवं लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त (बिहार सरकार या महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत्त लेखापाल) कर्मियों के नियोजन हेतु स्वलिखित आवेदन विहित प्रपत्र में आंमत्रित किये जाते है।

पदों की विवरणी रिक्ति निम्नवत् है –

क्र0 सं0	पद का नाम	पद एवं कोटि	योग्यता एवं अनुभव	उम्र (दिनांक–01.02.2017)	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6
1	लेखापाल–सह–रोकड़पाल	(कुल पद–2) अनु0 जाति – 01 पि0 वर्ग – 01	बिहार सरकार या महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत्त लेखापाल	अधिकतम 63 वर्ष	निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय
2	लेखापाल–सह–कम्प्यूटर ऑपरेटर	(कुल पद–9) सामान्य–2 सामान्य (म0)–2 अ0पि0व0–1 अ0पि0व0(म0)–1 अनु0 जाति–1 अनु0 जाति(म0)–1 पि0व0–1	बिहार सरकार या महालेखाकार कार्यालय से सेवानिवृत्त लेखापाल	अधिकतम 63 वर्ष	निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय

1. यह नियोजन संविदा के आधार पर प्रारंभ में एक वर्ष के लिए किया जायेगा। आवश्यकता पड़ने पर निगम द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन संविदा की अवधि को उभय पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
2. संविदा अवधि की समाप्ति अथवा रिक्त पदों पर प्रतिनियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त समझा जाएगा। इस हेतु अलग से कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

3. नियोजित कर्मियों का मानदेय नियमानुसार दिया जाएगा। संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्तियों को सरकारी सेवकों के देय कोई अन्य वेतन/भत्ता या सुविधा अनुमान्य नही होगी।
4. संविदा के आधार पर नियोजन के बाद सरकारी सेवा में पुनः नियमितीकरण का कोई दावा स्वीकार्य नही होगा। यह नियोजन सरकारी सेवा की किसी अवधि विस्तार के रुप में नही है।
5. नियोजन हेतु आवेदन समर्पित किये जाने का प्रारुप में ही आवेदक द्वारा भरा जायेगा।
6. आवेदन के साथ आवेदक को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके विरुद्धः–
   (i) कोई निगरानी का मामला नही चल रहा है,
   (ii) कोई विभागीय कार्यवाही नहीं चल रहा है,
   (iii) कोई गंभीर आरोप विचाराधीन नहीं है, एवं
   (iv) किसी तरह का कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है अथवा न्यायालय में लंबित नहीं है और न ही उन्हे किसी वाद में सजा हुई है।
   (v) अभ्यर्थी को सेवाकाल में दिये गये दण्डों का विवरण (यदि कोई हो)
8. सभी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव/विभागीय एवं जाति प्रमाण पत्र (सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत) की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
9. संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के कार्यो की समीक्षा समय–समय पर की जाएग और यदि कार्य संतोषजनक नहीं होगी तो उनकी संविदा किसी भी समय रद्द की जा सकेगी।
10. दिनांक–01.02.2017 को आवेदक की उम्र सीमा 63 से अधिक नहीं होनी चाहिए (जन्म तिथि संबंधी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति संलग्न करें)।
11. आवेदन पत्र वांछित कागजातों के साथ विहित प्रपत्र में ''प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, हॉस्पीटल रोड, शास्त्री नगर, पटना–800023 के यहाँ निबंधित/स्पीड पोस्ट/हाथो हाथ दिनांक–08.04.2017 (शनिवार) के अपराह्न 4 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
12. आवेदन पत्र के लिफाफे के उपर बड़–बड़े अक्षरों में पद का नाम लिखा होना चाहिए।
13. आवेदन–पत्र पूर्ण रुप से सही–सही भरा जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
14. निगम को किसी भी समय नियुक्ति/विज्ञापन को रद्द करने का अधिकार होगा।

ह0/–
(मुख्य महाप्रबंधक)
–सह–
अध्यक्ष चयन समीति
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

ज्ञापांकः– 684 पटना/दिनांकः– 15/03/17

प्रतिलिपिः–आई0टी मैंनेजर, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 को उक्त विज्ञापन को निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15.03.17

(मुख्य महाप्रबंधक)
–सह–
अध्यक्ष चयन समीति